प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला –चौकी ए0सी0बी0 कोटा देहात **थाना**–प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर

प्र0सू0रि0संख्या ...223...../2022 **दिनांक**.............7/6/2022

2.(I) अधिनियम–भ्र0नि0अधि0..धारायें– 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018

(i) **'अधिनियम.** भ्र0नि0अधि0. **'धारायें–**

(पप) **'अधिनियम**................................ ....**'धारायें**......................

(पपप) **'अन्य अधिनियम धारायें**...

3.(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..............108..........**समय**..... 12.15 P.M.

(ब) अपराध घटने का' दिन **सोमवार** दिनांक 06.06.2022 **समय 04.55 पी.एम.**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.02.06.2022 समय 03.40 पी.एम........

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक –लिखित

5. घटना स्थल:– कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड चौमहला जिला झालावाड।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– दक्षिण 200 कि.मी.

(ब) 'पता–चौमहला जिला झालावाड ....बीट संख्या.........जरायम देही संख्या............

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना...जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम:– श्री रामचन्द्र शर्मा

(ब) पति का नाम – श्री भँवरलाल शर्मा

(स) जन्म तिथि/वर्ष 46 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या.....................जारी होने की तिथि...........जारी होने की जगह.........

(र) **व्यवसाय**–नौकरी

(ल) **पता–** ग्राम चोरबर्डी तहसील गंगधार जिला झालावाड मो.न. 9784193097

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

1. श्री हरकेश मीणा पुत्र रंगलाल मीणा जाति मीणा उम्र 48 साल निवासी गावडी थाना गढमोरा, तहसील नादौती, जिला करौली हाल सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमहला जिला झालावाड

8.परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण:–.शून्य

9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).......

10.**चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**– ......10000रू..................................

11. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)....................................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि **दिनांक 02.06.2022 समय 3.40 पी.एम. पर** परिवादी श्री रामचन्द शर्मा पुत्र श्री भँवरलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 46 साल निवासी चोरबरडी तहसील गंगधार जिला झालावाड ने उपस्थित कार्यालय होकर एक सादा कागज पर टाईपशुदा प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि '' मै ग्राम चोरबरडी तहसील गंगधार जिला झालावाड का निवासी हूँ। मेरे व मेरे भाई गणेश शर्मा के नाम ग्राम चोरबरडी में खेत पर बने मकान पर घरेलू विघुत कनेक्शन स्थित है। जिसका पूरा बिल हमने जमा कर रखा है। हमारे विघुत कनेक्शन पर 05 एचपी का ट्रासंफार्मर लगा हुआ था जो माह मार्च 2022 में जल जाने से खराब हो गया। ट्रासफार्मर खराब हो जाने के कारण हमने माह मार्च 2022 में जेवीवीएनएल चौमहला में जमा करवा दिया। मैने नया ट्रासफार्मर लेने के लिए चौमहला

विधुत विभाग के कार्यालय मे एईएन श्री हरकेश जी मीणा से बात की तो उन्होने कहा की तेरा पुराना कनेक्शन भी चालू करवा जब ही ट्रासफार्मर दूंगा। एईएन साहब के कहने पर मैने मेरे नाम पर स्थित पुराने कनेक्शन को पुनः चालू करने के लिए फाईल तैयार कर लगाई व कनेक्शन चालू करने व नया ट्रासफार्मर दिलवाने के लिए एनईएन साहब हरकेश जी से मिला तो उन्होने कहा डिमाण्ड जमा करवाने के अलावा भी 15000रू ओर देने पडेगे में जब ही तुम्हारा पुराना कनेक्शन चालू करूंगा एंव नया ट्रांसफार्मर दूंगा ओर मेरी फाईल वापस लौटा दी। हरकेश मीना एईएन एक-दो दिन पहले मेरे खेत पर स्थित मकान पर आये ओर मुझसे पुनः रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर वह 10000रू लेने हेतू तैयार हो गये है वह मेरे जायज काम के बदले रिश्वत की मांग कर रहे है मै हरकेश जी एईएन साहब को रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मेरा हरकेश जी एईएन साहब से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं है और ना ही किसी प्रकार की दुश्मनी है, रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है।'' परिवादी के प्रार्थना पत्र व दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत मांग का होना पाया जाने व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो. द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाया एंव परिवादी रामचन्द्र शर्मा से परिचय करवाया व परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

मन पुलिस निरीक्षक परिवादी व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को लेकर अपने कक्ष में आया जहां परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं पेश शिकायत के सम्बन्ध में पूछताछ की गई। परिवादी ने बताया कि मुझे मेरे व मेरे भाई के नाम जारी धरेलू कनेक्शन पर 05 एचपी का ट्रांसफार्मर लेना है एंव मेरे नाम से जारी पुराने कनेक्शन को चालू करवाना है विधुत विभाग के एईएन श्री हरकेश मीना मेरे नाम से जारी पुराने कनेक्शन को पुनः चालू कर नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में 10000रू रिश्वत की मांग कर रहे है श्री हरकेश मीना ने पूर्व में मुझसे मेरे घर आकर रिश्वत की मांग कर रखी है, तथा सोमवार को मुझे रिश्वत लेकर बुलाया है वह जाते ही रिश्वत प्राप्त करेगा। मै सोमवार दिनांक 06.06.2022 को आपको कस्बा चौमहला में ही मिल जाउंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया। चूंकि परिवादी द्वारा पूर्व में रिश्वत संबंधी बातचीत आरोपी से कर रखी है एवं परिवादी के बताये अनुसार सत्यापन कार्यवाही के साथ ही रिश्वत राशि आरोपी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतः परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। चूंकि आरोपी ने परिवादी को सोमवार दिनांक 06.06.2022 को रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में बुलाया है एंव कार्यवाही स्थल कार्यालय हाजा से लगभग 200 कि.मी. की दूरी पर होने से एंव ट्रेप कार्यवाही की संभावना को देखते हुये दो सरकारी कर्मचारी बतौर स्वतन्त्र गवाह सोमवार प्रातः उपलब्ध होना संभव नही है अतः स्वतन्त्र गवाहान की उपलब्धता हेतु दिनाक 03.06.2022 को कार्यालय के श्री विशेष कुमार चालक कानि. को एक तहरीर नगर विकास न्यास कोटा के नाम जारी कर दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर लाने बाबत् रवाना किया। श्री विशेष कुमार कानि. चालक श्री चन्द्रमोहन जांगिड व श्री कुशाल स्याल कृषि पर्यवेक्षक, नगर विकास न्यास, कोटा को साथ लेकर उपस्थित कार्यालय आया। उक्त दोंनो गवाहान को गोपनीय कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया एंव दिनांक 06.06.2022 को प्रातः सुबह 08 बजे कार्यालय में उपस्थित आने बाबत् पांबद कर रवाना किया एंव एसीबी जाप्ता को भी उक्त समय पर कार्यालय में उपस्थित आने बाबत हिदायत दी गई। दिनांक 06.06.2022 समय 08. 00 ए.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान एव एसीबी जाप्ता कार्यालय में उपस्थित आये। कार्यालय के मालखाना से फिनोप्थलीन पाउडर की शीशी श्री विशेष कुमार कानि. चालक से निकलवाई जाकर सरकारी वाहन के डेशबोर्ड में रखवाई गई। मन् पुलिस निरीक्षक दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री चन्द्र मोहन जांगिड श्री कुशाल स्याल एंव जाप्ता श्री पवन कुमार कानि. 272, श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419, श्री नरेश कुमार कानि. 144, के सरकारी वाहन टवेरा मय चालक विशेष कुमार लेपटोप प्रिन्टर एंव ट्रेप कार्यवाही सामग्री के कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। परिवादी को जरिये दूरभाष गोपनीय स्थान पर मिलने हेतु निर्देशित किया। मन् पु.नि. मय गवाहान एंव टीम के रवाना होकर 12.30 पीएम पर गोपनीय स्थान मलारंगज चौराहा के पास उन्हेल नागेश्वर रोड, गंगधार

पहुंचा। पूर्व का पांबन्दशुदा परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा उपस्थित मिला। चूंकि ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः गोपनीय स्थान से परिवादी रामचन्द्र शर्मा को रिश्वत मांग संबंधी आरोपी से बातचीत करने की हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु रवाना किया। परिवादी के साथ श्री नरेश कानि. 144 को यथासंभव वार्ता की निगरानी हेतु रवाना किया। समय 1.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा व श्री नरेश कुमार कानि. 144 गोपनीय स्थान पर उपस्थित आये। परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि श्री हरकेश मीना एईएन कार्यालय में नही मिला अतः वार्ता नही हो सकी है। परिवादी ने अवगत करवाया की एईएन साहब मोबाईल पर भी मुझसे रिश्वत सम्बन्धित वार्ता कर लेते है। समय 01.07 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र के मोबाईल नम्बर 9784193097 से आरोपी हरकेश मीना एईएन के मोबाईल नम्बर 9413360378 पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करके परिवादी व आरोपी हरकेश मीना के मध्य वार्ता करवाई गई। वार्ता में श्री हरकेश मीना एईएन ने परिवादी के पुराने कनेक्शन को चालू करने व नया ट्रासंफार्मर देने की एवज में डिमाण्ड जमा करवाने के अतिरिक्त स्वंय के लिये 10000रू की मांग की गई एंव शाम को 06.00 बजे रिश्वत राशि लेकर कार्यालय आने बाबत् कहा। वार्ता को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। आरोपित द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर समय 06.00 पी.एम. के आसपास अपने कार्यालय में बुलाने एंव ट्रेप टीम के गोपनीय स्थान आम रोड मलारंगज चौराहा के पास उन्हेल नागेश्वर रोड, गंगधार पर अधिक समय तक रूकने से कार्यवाही की गोपनीयता भंग होने की संभावना के मध्यनजर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम परिवादी के बताये अनुसार रवाना होकर गोपनीय स्थान से उसके खेत पर स्थित आवास ग्राम चोरबर्डी पहुंचा। समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी एंव आरोपित श्री हरकेश मीना के मध्य हुई मोबाईल रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है को सरकारी लेपटोप में लिवाया जाकर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थित में मेरे निर्देशन मे श्री पवन कुमार कानि. 272 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता मुर्तिब करवाई गई। वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी श्री रामचन्द्र द्वारा की गई। समय 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा के मोबाईल नम्बर 9784193097 पर आरोपित श्री हरकेश मीना के मोबाईल नम्बर 9413360378.से कॉल आया । परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई आरोपी हरकेश मीना ने परिवादी रामचन्द्र शर्मा को बताया कि 4.30 पीएम तक कार्यालय में आ जाओ। वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 46 साल निवासी गांव चोरबर्डी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड ने अपने पास से निकालकर आरोपी हरकेश मीणा, सहायक अभियंता को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु 500-500 रूपये के 20 नोट, कुल 10,000रूपये मन् पुलिस निरीक्षक, को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त 20 नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। श्री विशेष कुमार चालक कानि.585 के द्वारा सरकारी गाडी के डेशबोर्ड से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्तानुसार पेश सभी नोटों पर पृथक पृथक फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री चन्द्रमोहन जांगिड से परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे 500-500 रू के 20 नोट कुल 10,000रू परिवादी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री विशेष कुमार चालक कानि. के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने

पर ही उक्त पावडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया गया। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री विशेष कुमार चालक कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी, एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी के गले में लटकाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे। समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी को रिश्वत राशि का लेनदेन हेतु उसकी स्वंय की मोटर साईकिल से सहायक अभियन्ता कार्यालय चौमहला हेतु रवाना किया मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी से उचित दूरी बना कर मय स्वतन्त्र गवाहान , जाप्ता श्री दिग्विजय सिंह कानि. 419, श्री नरेश कुमार कानि. 144, श्री पवन कुमार कानि. 272 लेपटोप प्रिन्टर सरकारी वाहन बोलेरो के परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ। श्री विशेष कुमार कानि. चालक को मय फिनोप्थलीन पाउडर की शीशी के गोपनीय स्थान पर छोडकर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुंचने हेतु निर्देशित किया। समय 04.22 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम परिवादी के पीछे पीछे सहायक अभियन्ता कार्यालय जेवीवीएनएल चौमहला के कुछ दूरी पर पहुंचा। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर रिश्वत लेनदेन हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल में आरोपी के पास रवाना किया एंव ट्रेप टीम के साथ जाल बिछा कर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के इशारे का इंतजार करने लगा। समय 04.55 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा पुत्र श्री भवंरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 46 साल निवासी गांव चोरबर्डी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड ने कार्यालय सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल, चौमहला के परिसर के अंदर से अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों गवाहान मय ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा के पास पहुचा। परिवादी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा ने पास में बने कक्ष में मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम के साथ चलकर सामने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति जिसने नीले रंग की हाफ बाजू चैक शर्ट व नीले रंग की जीस पेंट पहनी हुई थी, की ओर इशारा कर बताया कि यही एईएन साहब है, जिन्होनें मुझसे अभी अभी मेरे घरेलू बिजली कनेक्शन को चालू करने एंव 05 एच.पी. ट्रांसफार्मर देने की एवज में 10,000रूपये रिश्वत लेकर अपनी पहनी हुई नीले रंग की हाफ बाजू शर्ट की बांयी जेब में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सहायक अभियंता श्री हरकेश मीणा को अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया तो वह अत्यंत घबरा गया। मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर नाम पते पूछे तो व्यक्ति ने अपना नाम हरकेश मीणा पुत्र रंगलाल मीणा जाति मीणा उम्र 48 साल निवासी गावडी थाना गढमोरा, तहसील नादौती, जिला करौली हाल सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमहला जिला झालावाड होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरकेश मीणा को यथास्थिति बैठे रहने की हिदायत कर तसल्ली देकर श्री हरकेश मीणा से पूछा कि आपने अभी अभी परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा से 10,000रू किस काम की एवज में लिये है, तो श्री हरकेश मीणा, सहायक अभियंता ने बताया कि परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी चोरबर्डी के खेडा पर श्री भवंरलाल व रामचन्द्र के नाम से दो बिजली कनेक्शन थे, दो बिजली कनेक्शन होने से रामचन्द्र शर्मा को 05 के.वी.ए.(किलो वॉल्ट एम्पीयर) का ट्रांसफार्मर लगा रखा था, जो करीब 20 दिन पहले रामचन्द्र शर्मा का ट्रासंफार्मर जल गया। नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए रामचन्द्र शर्मा मेरे पास आया था। मैने कहा कम से कम तीन कनेक्शन होगें जब ही नया ट्रांसफार्मर मिलेगा। इस पर रामचन्द्र शर्मा ने एक तो अपने नाम से पुराना कनेक्शन

दुबारा चालू करवाने तथा एक अपने भाई व अपने पिता के नाम से कुल तीन कनेक्शन होने पर पुराने कनेक्शन को चालू करने व नये कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस जमा करने के लिए इसने मुझे 10,000रूपये दिये जो मैने मेरी शर्ट की जेब में रख लिये थे। श्री रामचन्द्र शर्मा मेरे मिलने वाला है, मैने इससे मजाक में पैसों के लिए कहा था। मैने श्री रामचन्द्र शर्मा से रिश्वत के कोई पैसे नहीं मांगे। इस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी हरकेश मीणा, सहायक अभियंता की बात का खण्डन करते हुये बताया कि श्री हरकेश मीणा झूठ बोल रहे है, मेरे गांव में मेरे नाम से बिजली कनेक्शन था, जिसे मेरे द्वारा कटवा दिया था। मेरे खेत पर मेरे भाई श्री गणेश शर्मा के नाम से बिजली कनेक्शन है, जिस पर 05 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। कुछ महीने पहले वह ट्रांसफार्मर जल गया। मैने जला हुआ ट्रांसफार्मर मार्च में जमा कर दिया था। मै जब नये ट्रांसफार्मर के लिए श्री हरकेश मीणा,सहायक अभियंता से मिला तो इन्होनें मुझसे कहा कि पहले तुम तुम्हारा पुराना बिल जमा करवावो तब तुम्हें नया ट्रांसफार्मर मिलेगा। मैने 04 अप्रेल 2022 को मेरा पुराना बिल जमा करवा दिया था तथा मेरा कोई भी बिल शेष नही है फिर मै ए.ईएन साहब से मिला तो इन्होने मुझे फाईल तैयार करवाने के लिए कहा, मैने फाईल तैयार करवा कर इनके पास गया तो इन्होने कहा की डिमाण्ड के अलावा 10000रू ओर लगेगें तुझे नया ट्रांसफार्मर दिलवा दुंगा। मै इनको रिश्वत नहीं देना चाहता था। आज दिन में मोबाईल पर इनसे बात की तो इन्होनें 10,000रूपये लेकर आज शाम को बुलाया था। दिन में हुई वार्ता अनुसार 10,000रूपये मुझसे लेकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिये। उसके बाद मैने ब़ाहर आकर आपको इशारा कर दिया था। दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में आरोपी हरकेश मीणा, सहायक अभियंता द्वारा पैसे प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति पर कार्यालय में रखे कैंपर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर दो अलग-अलग कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। कांच के दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त मे से एक कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री हरकेश मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे कांच के गिलास के घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग मटमैला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी हरकेश मीणा द्वारा परिवादी से पैसे लेकर अपनी पहनी हुई नीले रंग की शर्ट की जेब में रखना बताने से आरोपी की शर्ट की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रमोहन जांगिड से लिवाई तो आरोपी की पहनी हुई नीले रंगे की हॉफ बाजू शर्ट की बांयी जेब से 500रू के 20 नोट कुल 10,000रूपये मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रमोहन जांगिड से गिनवाया तो स्वतंत्र गवाह ने नोटों को गिनकर 500-500 के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी नोट देकर करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर हुबहू वहीं नोट होना बताया, जो परिवादी ने वक्त फर्द पेशकशी पेश किये थे। बरामद शुदा रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1FU 771070
2	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6QF 838540
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BD 296694
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1RE 948015
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7RW 865176
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CN 793177
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0LF 303821
8	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3KS 884781

9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9BR 822597
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FW 005571
11	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FW 005570
12	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9FB 851133
13	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FW 005572
14	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4EE 162130
15	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DT 133376
16	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0WP 419485
17	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0WP 419486
18	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8TM 782270
19	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8UC 718674
20	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2VP 956214

उक्त रिश्वत राशि को एक सफेद रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर एक कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया गया। कांच के गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, आरोपी श्री हरकेश मीणा की पहनी हुई शर्ट को उतरवाया जाकर पहनने हेतु अन्य टी-शर्ट मंगवाई गई। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी हरकेश मीणा, की उतरवाईशर्ट की बायी जेब को उलटवाकर ,डूबोकर धुलवाया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क S-1, S-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त शर्ट को सुखाकर रिश्वत राशि रखे गये जेब पर आरोपी हरकेश मीणा, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त शर्ट को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर शील्ड मोहर कर चिट माल चस्पा कर मार्क "S" दिया गया। आरोपी की जामा तलाशी में एक मोबाईल सेमसंग कम्पनी की-पेड जिसके ईएमआई नं. 353876586895902/01 व 359384796895907/01 व सीम नं. 9413360378 है को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री हरकेश मीणा द्वारा प्रयोग करने से वजह सबूत जब्त कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी श्री रामचन्द्र के पेण्डिग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज श्री रामकुमार बारेठ, कनिष्ठ अभियंता को तलब कर प्राप्त किये गये। रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त लेनदेन रिश्वत वार्ता दोनों ही परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसको परिवादी व रूबरू गवाहान, आरोपियान के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद होती है। समय 07.40 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री हरकेश मीना सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड चौमहला जिला झालावाड को अपनी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस जरिये कार्यालय पत्रांक SPL-1 दिनांक 06.06.2022 द्वारा दिया गया। जिस पर आरोपी ने एक प्रति पर लिखित में स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देने बाबत् जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.00 पी.एम. पर दोनों गवाहान के समक्ष आरोपी हरकेश मीणा को मन् पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर प्रकरण हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरों लिया गया। आरोपी की जामातलाशी गवाह श्री चन्द्रमोहन जांगिड द्वारा लिवाई गई तोआरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब में 41560रू नकद मिले। जिनको कब्जे ब्यूरों लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसके मित्र श्री राधेश्याम टेलर को मौके पर दी गई। जामा तलाशी में मिली नकद राशि को कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दोनो स्वतंत्र गवाहान, व परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा की उपस्थिति में कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड चौमहला पर

पर्याप्त रोशनी होने से से घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08:40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, जाप्ता आरोपी हरकेश मीणा को हमराह साथ लेकर सरकारी वाहन के आरोपी के किराये के आवास की खाना तलाशी हेतु कस्बा चौमहला रवाना हुआ। समय 10.00 पी.एम. आरोपी श्री हरकेश, आरोपी के किराये के आवास कस्बा चौमहला की खाना तलाशी लेकर वापस कार्यवाही स्थल पर उपस्थित आया। खाना तलाशी फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। 10.05 पी.एम. पर परिवादी एंव आरोपित श्री हरकेश मीना के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाईल वार्ता व दिनांक 06.06.2022 को परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा व आरोपी श्री हरकेश मीना सहायक अभियन्ता के मध्य कार्यालय सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड चौमहला पर हुई वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी, को लेपटोप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। वार्ता में आवाज की पहचान परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा की गई। गवाहान, परिवादी, व आरोपी के समक्ष वार्ताओ की फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता एंव रिश्वत लेनदेन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि. 272 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 06.06.2022 को परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा व आरोपी श्री हरकेश मीणा के मध्य मोबाईल फोन पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाईल वार्ता एंव आरोपी हरकेश मीणा, सहायक अभियंता व परिवादी के मध्य कार्यालय सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल चौमहला पर वक्त रिश्वत लेनदेन हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता की कार्यालय के लेपटोप से मेरे निर्देशन में पवन कुमार कानि. 272 के द्वारा चार सी.डी. तैयार करवाई गई। एक सी.डी. वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं एक सी.डी आरोपी के लिए एंव एक सीडी एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग-अलग कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। तैयारशुदा चार सी.डी. को कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही पूर्ण होने से परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा को सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 07.06.2022 को समय: 08.00 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी के सदस्यों, मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री हरकेश मीना सहायक अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड चौमहला, मय जप्तशुदा आर्टिकल्स के जरिये सरकारी वाहन से रवानाशुदा कार्यालय में उपस्थित आया। जप्तशुदा रिश्वत राशि 10000 रूपये के लिफाफे, धोवन की शीशियां मार्क RH-1, RH-2, LH -1, LH **-2, S-1, S-2 व पैकिट मार्क** "S" जब्तशुदा मोबाईल सेमसंग, जामा तलाशी की राशि 41560रू को श्री गिरिराज कानि. 387 को सम्भलाया जाकर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को कार्यवाही पूर्ण होने से रूखसत किया गया।

उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि श्री हरकेश मीणा सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमहला जिला झालावाड द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी चोरबर्डी जिला झालावाड के पुराने बिजली कनेक्शन को चालू करने व परिवादी व उसके भाई के खेत पर घरेलू बिजली कनेक्शन हेतु 05 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर देने की एवज में परिवादी रामचन्द्र शर्मा से 10,000रू रिश्वत राशि की मांग करना एंव दौराने रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना, वार्ता अनुसार 10,000रू रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी हरकेश मीणा के कब्जे से उसकी पहनी हुई शर्ट की बांयी जेब से बरामद होना व आरोपी के दाहिने, बांये हाथ व शर्ट के धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी, मटमैला व गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी श्री हरकेश मीणा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री हरकेश मीणा पुत्र रंगलाल मीणा जाति मीणा उम्र 48 साल निवासी गावडी थाना गढमोरा, तहसील नादौती, जिला करौली हाल सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमहला जिला झालावाड के विरूद्व जूर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध घटित होना पाया जाने से उक्त धाराओं में उक्त

आरोपित श्री हरकेश मीणा, सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमहला जिला झालावाड के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

(वासूदेव)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वासूदेव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरकेश मीणा, सहायक अभियंता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमहला जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 223/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7/6/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः-1965-69 दिनांक 7.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव-प्रशासन, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

7/6/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।